संख्या-258/2018/4085/71-1-2018-जी-293/2013

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 03 अक्टूबर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मेडिकल कालेज, झॉसी में मॉड्यूलर आपरेशन थियेटर के उच्चीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मेडिकल कालेज, झॉसी में मॉड्यूलर आपरेशन थियेटर के उच्चीकरण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 2314.79 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश दिनॉक 17-11-2014 द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत लागत रू0 2314.79 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 1820.44 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	शासनादेश संख्या-41/1398/71-1-14-जी-293/2013, दिनॉक 17-11-2014	925.00
2	शासनादेश संख्या-121/2016/1262/71-1-16-जी-293/2013, दिनॉक 16-05-2016	450.00
3	शासनादेश संख्या-153/2016/1944/71-1-16-जी-293/2013, दिनॉक 29-07-2016	95.44
4	शासनादेश संख्या-38/2017/374/71-1-17-जी-293/2013, दिनॉक 20-03-2017	350.00
	योग-	**1820.44**

2- आपके उक्त पत्र के क्रम में मेडिकल कालेज, झॉसी में मॉड्यूलर आपरेशन थियेटर के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय मेडिकल कालेज, झॉसी हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,00,000/- में से रू0 3,78,62,000/- (रू0 तीन करोड़ अट्ठहत्तर लाख बासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/संबंधित प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- स्वीक़त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप् पर शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://Shasanadesh.up.nic.in

7- कार्यदायी संस्था थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित आपत्तियों का निराकरण करके उसकी रिपोर्ट एक माह में प्रधानाचार्य के माध्यम से महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

8- शासनादेश संख्या-41/1398/71-1-14-जी-293/2013, दिनॉक 17-11-2014 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-42-राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, झॉसी-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्या:-258/2018/4085(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झॉसी।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झॉसी।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, झॉसी।
6- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-36, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, झॉसी।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- नियोजन अनुभाग-4/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।